राजस्थान सरकार

कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, "कर भवन", अजमेर (केम्प जयपुर)

क्रमांक : एफ.7(39)जन/2013/पार्ट–1/2845-3385 दिनांक : **14-07-2014**

1. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक),
   जयपुर

2. उप महानिरीक्षक
   पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक)
   (समस्त)

3. उप पंजीयक (पूर्णकालिक एवं पदेन)
   समस्त, राजस्थान

विषय – माननीय मुख्यमंत्री महोदया की वर्ष 2014–15 के बजट में की गई घोषणाओं के अन्तर्गत जारी अधिसूचनाओं की पालना सुनिश्चित करने के क्रम में।

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2014–15 की बजट घोषणाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाऐं जारी कर स्टाम्प ड्यूटी में रियायत के संबंध में प्रावधान तथा अन्य प्रावधान निम्नानुसार किये गये है –

1. **अधिसूचना क्रमांक एफ.4(15)वित/कर/2014–49 दिनांक 14–07–2014 –**
   अधिसूचना द्वारा डवलपमेंट एग्रीमेन्ट में डवलपर को विकसित सम्पति का जितना हिस्सा प्राप्त होता है, उस अनुपात में भूमि के मूल्य पर 1% की बजाय 2% स्टाम्प ड्यूटी प्रभारित की गई है, शेष भाग पर 1% स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।
2. **अधिसूचना क्रमांक एफ.4(15)वित/कर/2014–50 दिनांक 14–07–2014 –**
   अधिसूचना के द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन के आदेशों पर स्टाम्प ड्यूटी न्यूनतम 500/– रू. के अध्यधीन, भू–उपयोग परिवर्तन के लिए स्थानीय निकायों को दिये गये प्रभारों या फीस की रकम पर 10% की दर से प्रभारित की गई है।
3. **अधिसूचना क्रमांक एफ.4(15)वित/कर/2014–51 दिनांक 14–07–2014 –**
   अधिसूचना के द्वारा कम्पनियों के अमलगमेशन या पुनर्गठन के आदेश पर स्टाम्प ड्यूटी की गणना के लिए संबंधित कम्पनी की सम्पूर्ण अचल सम्पति के अनुपात में राजस्थान राज्य में स्थित अचल सम्पति का प्रतिशत निकालकर कम्पनी की Networth (शुद्ध मूल्य) के उतने प्रतिशत पर 2% की दर से स्टाम्प ड्यूटी देय है। यदि देय स्टाम्प ड्यूटी 25 करोड रूपये से अधिक है तो 25 करोड से अधिक देय स्टाम्प ड्यूटी माफ की गई है।
4. **अधिसूचना क्रमांक एफ.4(15)वित/कर/2014–52 दिनांक 14–07–2014 –**
   अधिसूचना के द्वारा नवीन खनन पट्टे, निलामी के आधार पर जारी खनन पट्टे, नवीनीकरण के आधार पर जारी खनन पट्टे तथा खनन पट्टे के हस्तान्तरण पर स्टाम्प ड्यूटी में निम्नानुसार रियायत दी गई है :–

(i) नये खनन पट्टे पर स्टाम्प ड्यूटी डेडरेन्ट की तीन गुना रकम, प्रतिभूति की रकम और अन्य खर्चों पर कनवेन्स की दर से प्रभारित की गई है।

(ii) निलामी में क्रय की गई माईनिंग में निष्पादित खनन पट्टे पर स्टाम्प ड्यूटी निलामी की रकम, डेडरेन्ट का तीन गुना, प्रतिभूति की रकम और अन्य विविध खर्चों पर कनवेन्स की दर से प्रभारित की गई है।

(iii) खनन पट्टे के नवीनीकरण के मामलें में स्टाम्प ड्यूटी डेडरेन्ट की तीन गुना रकम या पूर्ववर्ती तीन वर्षों की रॉयल्टी की राशि, इसमें जो भी अधिक हो, प्रतिभूति की रकम और अन्य विविध खर्चों पर कनवेन्स की दर से प्रभारित की गई है।

(iv) खनन पट्टे के अन्तरण के मामलें में डेडरेन्ट की दो गुना रकम या पूर्ववर्ती दो वर्षों की रॉयल्टी की रकम, इसमें से जो भी अधिक हो, स्थल पर कराये गये विकास कार्यों की लागत और अन्य विविध खर्चों पर कनवेन्स की दर से प्रभारित की गई है।

5. **अधिसूचना क्रमांक एफ.4(15)वित/कर/2014–53 दिनांक 14–07–2014 –**

अधिसूचना के द्वारा स्थानीय निकायों की भूमियों के संबंध में निष्पादित मध्यवर्ती अपंजीकृत या अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित प्रत्येक दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी मूल आवंटन की रकम का डेढ गुना राशि पर कनवेन्स की दर से प्रभारित की गई है।

आवासीय सहकारी सोसायटियों द्वारा आवंटित या विक्रित भूमि के मामलों में अपंजीकृत/ अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित प्रत्येक मध्यवर्ती दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी बाजार मूल्य की 50% राशि पर प्रभारित की गई है।

6. **अधिसूचना क्रमांक एफ.4(15)वित/कर/2014–54 दिनांक 14–07–2014 –**

अधिसूचना के द्वारा राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों द्वारा आवंटन/विक्रय के आधार पर निष्पादित लीज डीड या विक्रय विलेख पर स्टाम्प ड्यूटी में निम्न प्रकार रियायत दी गई है :–

(i) दस्तावेज, निष्पादन की तारीख से दो माह की अवधि में पंजीयन के लिए पेश होने पर स्टाम्प ड्यूटी ब्याज या शास्ति यदि कोई हो, प्रीमियम की राशि, अन्य प्रभारों और दो वर्ष के औसत किराये की रकम पर कनवेन्स की दर से प्रभारित की गई है।

(ii) दस्तावेज, निष्पादन की तारीख से दो माह बाद किन्तु चार माह की अवधि में पंजीयन के लिए पेश करने पर स्टाम्प ड्यूटी क्रमांक (i) में अंकित राशि की 125% राशि पर कनवेन्स की दर से प्रभारित की गई है।

(iii) दस्तावेज, निष्पादन की तारीख से चार माह बाद किन्तु आठ माह की अवधि में पंजीयन के लिए पेश करने पर स्टाम्प ड्यूटी क्रमांक (i) में अंकित राशि की 150% राशि पर कनवेन्स की दर से प्रभारित की गई है।

आठ माह बाद स्थानीय निकायों से पुनर्वेध करवाने उपरान्त पंजीयन के लिए पेश करने पर स्टाम्प ड्यूटी सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर या उक्त क्रमांक (i) की 150% रकम में से जो भी अधिक हो, पर कनवेन्स की दर से प्रभारित की गई है।

7. **अधिसूचना क्रमांक एफ.4(15)वित/कर/2014–55 दिनांक 14–07–2014 –**

अधिसूचना के द्वारा स्थानीय निकायों से भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–90–ए के तहत नियमन के आधार पर जारी पट्टों पर स्टाम्प ड्यूटी में निम्नानुसार रियायत दी गई है :–

(i) पट्टा, खातेदार स्वयं के पक्ष में निष्पादित होने पर स्टाम्प ड्यूटी ब्याज एवं शास्ति यदि कोई हो, प्रीमियम राशि, विकास प्रभार और अन्य प्रभारों की रकम और दो वर्ष के औसत किराये की राशि पर कनवेन्स की दर से प्रभारित की गई है।

(ii) पट्टा, रजिस्ट्रर्ड या पूर्ण मुद्रांकित दस्तावेज के आधार पर खातेदार से भिन्न व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित होने पर क्रमांक (i) में उल्लेखित राशि पर कनवेन्स की दर से प्रभारित की गई है।

(iii) पट्टा अपंजीकृत या अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित दस्तावेज के आधार पर किसी व्यक्ति के पक्ष में जारी होने पर उस क्षेत्र की आरक्षित दर पर, आरक्षित दर निर्धारित नहीं हो तो निकटतम क्षेत्र की आरक्षित दर के आधार पर कनवेन्स की दर से प्रभारित की गई है।

आठ माह बाद स्थानीय निकायों से पुनर्वेध करवाने के बाद पंजीयन के लिए पेश करने पर स्टाम्प ड्यूटी सम्पति के बाजार मूल्य पर या उस क्षेत्र की आरक्षित दर के 150% पर, इनमें से जो भी अधिक हो पर प्रभारित की गई है।

8. <u>अधिसूचना क्रमांक एफ.4(15)वित/कर/2014–56 दिनांक 14–07–2014 –</u>

अधिसूचना के द्वारा 10 वर्ष के किरायानामा (लीजडीड) पर देय स्टाम्प ड्यूटी की दरों में निम्नानुसार रियायत दी गई है :–

(1) जहाँ सिर्फ किराया नियत हो :–

(i) किरायानामा (लीजडीड) एक वर्ष से कम अवधि के लिए निष्पादित होने पर न्यूनतम 500/– रू. के अध्यधीन सम्पूर्ण अवधि के किराये की राशि का 0.5% प्रभारित किया गया है।

(ii) किरायानामा (लीजडीड) एक वर्ष से 10 वर्ष की अवधि के लिए निष्पादित होने पर दो वर्ष के औसत किराये की रकम का 1% प्रभारित किया गया है।

(2) जहाँ, किरायानामा (लीजडीड) किराये के साथ–साथ, प्रीमियम, विकास प्रभारों, प्रतिभूति प्रभारों या इनके लिए अग्रिम दिये गये धन के लिए निष्पादित किया गया है <u>किन्तु ऐसे प्रभार रिफण्डेबल है,</u> के लिए स्टाम्प ड्यूटी निम्नानुसार प्रभारित की गई है :–

(i) आवासीय सम्पत्तियों के मामलों में न्यूनतम 1000/– रूपये के अध्यधीन सम्पूर्ण अवधि के किराये की राशि का 0.5% प्रभारित किया गया है।

(ii) आवासीय से भिन्न मामलों में न्यूनतम 5000/– रूपये के अध्यधीन सम्पूर्ण अवधि के किराये की राशि का 1% प्रभारित किया गया है।

(2) जहाँ, किरायानामा (लीजडीड) किराये के साथ–साथ, प्रीमियम, विकास प्रभारों, प्रतिभूति प्रभारों या इनके लिए अग्रिम दिये गये धन के लिए निष्पादित किया गया है <u>किन्तु ऐसे प्रभार नॉन–रिफण्डेबल है,</u> के लिए स्टाम्प ड्यूटी निम्नानुसार प्रभारित की गई है :–

(i) आवासीय मामलों में न्यूनतम 2000/– रूपये के अध्यधीन सम्पूर्ण अवधि के किराये, जुर्माना या प्रीमियम या अग्रिम दिये गये धन या अग्रिम दिये गये विकास प्रभारों या अग्रिम दिये गये प्रतिभूति प्रभारों की राशि का 0.5% प्रभारित किया गया है।

(ii) आवासीय से भिन्न मामलों में न्यूनतम 7000/– रूपये के अध्यधीन सम्पूर्ण अवधि के किराये, जुर्माना या प्रीमियम या अग्रिम दिये गये धन या अग्रिम दिये गये विकास प्रभारों या अग्रिम दिये गये प्रतिभूति प्रभारों की राशि का 1% प्रभारित किया गया है।

9. <u>अधिसूचना क्रमांक एफ.4(15)वित/कर/2014–57 दिनांक 14–07–2014 –</u>

अधिसूचना के द्वारा चार मंजिल से अधिक मंजिल के भवनों में किसी ईकाई के प्रथम हस्तान्तरण दस्तावेज के पंजीयन की दिनांक से तीन वर्ष की अवधि में पुनः हस्तान्तरण होने पर स्टाम्प ड्यूटी में निम्नानुसार रियायत दी गई है :–

(i) प्रथम हस्तान्तरण की दिनांक से एक वर्ष की अवधि में पुनः हस्तान्तरित होने पर बाजार मूल्य पर 2% की दर से।

(ii) प्रथम हस्तान्तरण की दिनांक से दो वर्ष की अवधि में पुनः हस्तान्तरित होने पर बाजार मूल्य पर 3% की दर से।

(iii) प्रथम हस्तान्तरण की दिनांक से तीन वर्ष की अवधि में पुनः हस्तान्तरित होने पर बाजार मूल्य पर 4% की दर से।

10. अधिसूचना क्रमांक एफ.4(15)वित/कर/2014–58 दिनांक 14–07–2014 –

अधिसूचना के द्वारा महिलाओं के पक्ष में निष्पादित अचल सम्पति के हस्तान्तरण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में निम्नानुसार रियायत दी गई है :–

(i) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या बी.पी.एल. प्रवर्गों की महिलाओं की दशा में 3%

(ii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या बी.पी.एल. प्रवर्गों की महिलाओं से भिन्न महिलाओं की दशा में 4%

11.अधिसूचना क्रमांक एफ.4(15)वित/कर/2014–59 दिनांक 14–07–2014 –

अधिसूचना के द्वारा 40% निःशक्ता से ग्रसित व्यक्ति के पक्ष में अचल सम्पति के हस्तान्तरण दस्तावेज पर देय स्टाम्प ड्यूटी में रियायत देकर 4% की दर से प्रभारित करने का प्रावधान किया गया है।

12. अधिसूचना क्रमांक एफ.4(15)वित/कर/2014–60 दिनांक 14–07–2014 –

अधिसूचना के द्वारा कम्पनी के संगम ज्ञापन में संशोधन से संबंधित दस्तावेज पर देय स्टाम्प ड्यूटी अधिकृत अंशपूजी में वृद्धि के 0.2% की दर से या 25 लाख रूपये इसमें से जो भी कम हो, प्रभारित करने की रियायत दी गई है।

13. अधिसूचना क्रमांक एफ.4(15)वित/कर/2014–61 दिनांक 14–07–2014 –

अधिसूचना के द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 में निम्नानुसार संशोधन कर नवीन प्रावधान किये गये है:–

(i) नियम 2 में उपनियम (ञ–क) नया जोड़कर वर्ष को परिभाषित किया गया है।

(ii) नया नियम 3–क जोडकर उप नियम (1) में स्टाम्प ड्यूटी की अदायगी किस प्रकार की जायेगी, के प्रावधान को स्पष्ट किया गया है। इसी प्रकार उप नियम (2) में परिस्थितियों के दृष्टिगत स्टाम्प ड्यूटी राशि नगद में लिये जाने के आदेश जारी करने की शक्ति महानिरीक्षक, स्टाम्प को दी गई है।

(iii) नियम 23 में संशोधन कर स्टाम्प वेण्डर द्वारा प्रत्येक मामलें में "तीन लाख" के स्थान पर "एक लाख" के स्टाम्प विक्रय करने का प्रावधान किया गया है।

(iv) विद्यमान नियम 58 को प्रतिस्थापित कर प्रावधान किया गया है कि उप पंजीयक द्वारा अचल सम्पति का मूल्यांकन डीएलसी द्वारा निर्धारित कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक भूमि दर, राज्य सरकार या राज्य सरकार के अनुमोदन से महानिरीक्षक, स्टाम्प द्वारा निर्धारित अन्य प्रवर्गों की भूमि दरों के आधार पर करने का प्रावधान किया गया है। निर्मित क्षेत्र की दरों के निर्धारण करने की शक्ति राज्य सरकार में निहित की गई है। बहुमंजिला इमारतों में भूमि का अनुपातिक दरों के आधार पर मूल्यांकन के मानदण्ड निर्धारित करने की शक्ति राज्य सरकार को दी गई है।

उक्त नियमों में संशोधन से पूर्व भूमि के अन्य प्रवर्गों के संबंध में डीएलसी द्वारा निर्धारित की गई दरें तब तक प्रभावी रहेंगी जब तक राज्य सरकार या महानिरीक्षक, स्टाम्प पुनः दरों का निर्धारण नहीं करें।

डीएलसी भूमि के बाजार मूल्य को प्रभावित करने वाले सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए कृषि, आवासीय एवं वाणिज्यिक भूमि की दरों का निर्धारण वर्ष की समाप्ति से पूर्व प्रतिवर्ष करेंगी परन्तु डीएलसी भूमि दरों में 50% से अधिक वृद्धि करती है तो ऐसी दरें राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् ही प्रभावी होगी।

यदि डीएलसी किसी वर्ष 31, मार्च तक कृषि, आवासीय एवं वाणिज्यिक भूमि की दरों को पुनरीक्षित नहीं करती है तो ऐसे प्रवर्गों की भूमि दरों में अगले 1, अप्रेल से 10% की वृद्धि स्वतः ही मानी जायेगी।

डीएलसी या महानिरीक्षक, स्टाम्प द्वारा सिफारिश की भूमि दरों को पुनः अवधारित करने की शक्तियां राज्य सरकार को दी गई। ऐसी दरें आदेश दिनांक से तब तक प्रभावी रहेगी जब तक डीएलसी ऐसी दरों को पुनरीक्षित नहीं करें।

14. अधिसूचना क्रमांक एफ.4(15)वित/कर/2014–62 दिनांक 14–07–2014 –

अधिसूचना के द्वारा उन जिलों में जहां डीएलसी द्वारा दिनांक 30–09–2014 तक भूमि दरों को पुनरीक्षित नहीं किया गया है, वहाँ दिनांक 01–10–2014 से निम्नानुसार भूमि दरों में वृद्धि की गई है :–

(i) उन जिलों में जहाँ वर्ष 2012–13 ओर 2013–14 के लिए डीएलसी द्वारा भूमि दरों में वृद्धि नहीं की गई है, वहाँ 15% वृद्धि।

(ii) उन जिलों में जहाँ वर्ष 2013–14 के लिए डीएलसी द्वारा भूमि दरों में वृद्धि नहीं की गई है, वहाँ 10% वृद्धि।

15. अधिसूचना क्रमांक एफ.4(15)वित/कर/2014–63 दिनांक 14–07–2014 –

अधिसूचना के द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उपनियम (4) में राज्य सरकार को प्राप्त शक्तियों के अन्तर्गत निम्नलिखित श्रेणी की भूमि दरों का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है:–

(i) **औद्योगिक प्रयोजनार्थ**:– रीको औद्योगिक क्षेत्र की 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित भूमि का मूल्यांकन रीको औद्योगिक क्षेत्र के लिये निर्धारित दर के आधार पर तथा अन्य समस्त मामलों में कृषि भूमि के लिये निर्धारित दर की दो गुना ।

(ii) **संस्थानिक प्रयोजनार्थ**:– सहकारी सोसायटियों/चेरिटेबिल संस्थाओं द्वारा संस्थानिक भूमि क्रय करने पर उस क्षेत्र की कृषि भूमि के लिये निर्धारित दर की डेड गुना तथा कम्पनियों, फमर्स एवं अन्य संस्थाओं द्वारा भूमि क्रय करने पर उस क्षेत्र की कृषि भूमि दर की दो गुना दर।

(iii) **खनन प्रयोजनार्थ**:– खनन प्रयोजनार्थ क्रय की गई कृषि भूमि या ऐसी कृषि भूमि जिसके सम्बन्ध में खनन प्रयोजन के लिये भू–स्वामी ओर पट्टाकर्ता के मध्य सहमति विलेख निष्पादित किया गया है, की दरे उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दो गुना दर।

(iv) **रिसोर्ट प्रयोजनार्थ**:– रिसोर्ट में निर्माण के लिये नियमों में अनुमत क्षेत्र अथवा वास्तविक निर्मित क्षेत्र, जो भी अधिक हो, के अधीन भूमि का मूल्यांकन हेतु उस क्षेत्र के लिये निर्धारित व्यवसायिक भूमि की दर के आधार पर तथा शेष भूमि का मूल्यांकन उस क्षेत्र के लिये निर्धारित कृषि भूमि की डेड गुना दर।

(v) **मैरिज गार्डन प्रयोजनार्थ**:– मैरिज गार्डन के प्रयोजन हेतु क्रय की गई कृषि भूमि या मैरिज गार्डन प्रयोजन हेतु सम्परिवर्तित भूमि में मैरिज गार्डन के निर्माण के लिये अनुमत क्षेत्र अथवा वास्तविक निर्मित क्षेत्र, जो भी अधिक हो के अधीन भूमि का मूल्यांकन उस क्षेत्र के निर्धारित व्यवसायिक भूमि की दर के आधार पर तथा शेष भूमि का मूल्यांकन उस क्षेत्र के निर्धारित आवासीय भूमि की डेड गुना दर के आधार पर।

(vi) **कम्पनियों, फर्मों या संस्थाओं द्वारा क्रय की गई कृषि भूमि** :– जहॉ कम्पनी, फमर्स अथवा संस्थाओं द्वारा क्रय की जाय और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) के अन्तर्गत स्टाम्प ड्यूटी में रियायत प्राप्त की जाती है तो ऐसी भूमि का मूल्यांकन उस भूमि की श्रेणी के लिये निर्धारित दर के अनुसार एवं अन्य मामलो में ऐसी भूमि का मूल्यांकन कृषि भूमि की डेड गुना दर।

(vii) **फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ**:– फार्म हाउस प्रयोजनार्थ क्रय की गई कृषि भूमि या फार्म हाउस प्रयोजन के लिये सम्परिवर्तन भूमि के लिये। (1) भूमि का क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर तक होने पर आवासीय दर के आधार पर (2) 1000 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 2500 वर्गमीटर से कम क्षेत्र के फार्म हाउस जिनमें 500 वर्गमीटर अथवा वह भाग जिस पर निर्माण किया गया है, जो भी अधिक हो, की भूमि का मूल्यांकन उस क्षेत्र की आवासीय दर से तथा शेष भूमि का मूल्यांकन उस क्षेत्र के लिये कृषि भूमि की निर्धारित दर की दो गुना दर से (3) जहॉ फार्म हाउस प्रयोजन विक्रय की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर या अधिक हो और भूमि नगरीय क्षेत्रों (नगरीय बस्तियों की सीमाओं को सम्मिलित करते हुए), पेराफेरी क्षेत्र अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/मेगा राजमार्ग की एक किलोमीटर की परिधि में स्थित हो, तो 500 वर्गमीटर अथवा कुल क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत अथवा वास्तविक निर्मित क्षेत्रफल जो भी अधिक हो, की भूमि का मूल्यांकन उस क्षेत्र के लिये निर्धारित आवासीय दर के आधार पर तथा शेष भूमि का मूल्यांकन उस क्षेत्र के लिये निर्धारित कृषि भूमि की डेड गुना दर के आधार पर।

16. अधिसूचना क्रमांक एफ.4(15)वित/कर/2014–64 दिनांक 14–07–2014 –

अधिसूचना के द्वारा निर्मित क्षेत्र की दरों का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है :–

(i)	भू–तल+2 तलों तक वाले आवासीय या वाणिज्यिक भवनों में आ.सी.सी. संनिर्माण –	रूपये 800/– प्रति वर्ग फुट
(ii)	भू–तल+3 या अधिक तलों तक वाले आवासीय भवनों में आ.सी.सी. संनिर्माण –	रूपये 1000/– प्रति वर्ग फुट
(iii)	भू–तल+3 या अधिक तलों तक वाले वाणिज्यिक भवनों में आ.सी.सी. संनिर्माण –	रूपये 1200/– प्रति वर्ग फुट
(iv)	आ.सी.सी. संनिर्माण से भिन्न संनिर्माण	रूपये 600/– प्रति वर्ग फुट
(v)	टीन शेड	रूपये 2000/– प्रति वर्ग मीटर
(vi)	बाउण्ड्रीवाल	रूपये 400/– प्रति रनिंग मीटर

17. अधिसूचना क्रमांक एफ.4(15)वित/कर/2014–65 दिनांक 14–07–2014 –

अधिसूचना के द्वारा बहुमंजिला ईमारतों के अधीन भूमि के मूल्यांकन के मानदण्ड का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है :–

(i) छत के अधिकार के बिना भू–तल की ईकाई का अन्तरण होने पर भूमि की दर का 80%

(ii) छत के अधिकार के बिना प्रथम या द्वितीय तल पर ईकाई के अन्तरण होने पर भूमि की दर का 70%

(iii) छत के अधिकार के बिना तहखाना (बेसमेन्ट) या तृतीय तल पर ईकाई के अन्तरण होने पर भूमि की दर का 60%

(iv) आवासीय ईकाईयों में सामान्य क्षेत्र (कॉमन ऐरिया) का मूल्यांकन (सुपर बिल्ट–अप ऐरिया पर) 200/– रूपये प्रति वर्ग फुट

(v) आवासीय ईकाईयों से भिन्न ईकाईयों में सामान्य क्षेत्र (कॉमन ऐरिया) का मूल्यांकन (सुपर बिल्ट–अप ऐरिया पर) 400/– रूपये प्रति वर्ग फुट

18. अधिसूचना क्रमांक एफ.4(15)वित/कर/2014–66 दिनांक 14–07–2014 –

अधिसूचना के द्वारा अचल सम्पति के विक्रय के लिए बिना प्रतिफल दिये निष्पादित मुख्त्यारनामा के पंजीयन पर देय पंजीयन शुल्क सम्पति के बाजार मूल्य के 1% या 10000/– रूपये जो भी कम हो, प्रभारित किया गया है।

19. अधिसूचना क्रमांक एफ.4(15)वित/कर/2014–67 दिनांक 14–07–2014 –

अधिसूचना के द्वारा राजस्थान पंजीयन नियम, 1955 खण्ड प्रथम के नियम 74 में संशोधन कर निम्नानुसार प्रावधान किये गये है :–

(i) पंजीयन शुल्क की राशि किसी अधिसूचित बैंक के पे–ऑर्डर या डिमाण्ड ड्राफ्ट या ई–ग्रास चालान से जमा किया जाना।

(ii) पंजीयन शुल्क की राशि को जमा करने के लिए राज्य सरकार की पूर्वानुमति से महानिरीक्षक, पंजीयन द्वारा किसी व्यक्ति, ऐजेन्सी या कम्पनी को अधिकृत किया जाना।

(iii) पंजीयन शुल्क की राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट, पे–ऑर्डर या ई–ग्रास चालान की प्रति उप पंजीयन को प्रस्तुत करने पर उसके द्वारा पंजीयन शुल्क जमा होने का प्रमाण–पत्र दस्तावेज पर अंकित करना।

(iv) जिन स्थानों पर पंजीयन शुल्क का भुगतान उपरोक्त प्रावधानों के माध्यम से संभव नहीं हो, उन स्थानों पर पंजीयन शुल्क की राशि नगद रूप में जमा करने की अनुमति देने की शक्ति महानिरीक्षक, पंजीयन को दी गई है।

(v) उपरेक्त प्रावधानों के अन्तर्गत जमा की जाने वाली पंजीयन शुल्क की राशि 10/– रूपये के गुणक में जमा करने का प्रावधान किया गया है।

(vi) नियम 96 में संशोधन कर अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी की राशि 10000/– रूपये तक नगद रूप में जमा करने के प्रावधान को समाप्त कर डिमाण्ड ड्राफ्ट, पे–ऑर्डर या ई–ग्रास चालान के माध्यम से जमा करने का प्रावधान किया गया है।

(vii) नियम 96–ए में संशोधन कर इस नियम के उस भाग को हटाया गया है, जिसमें स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान नहीं करने पर दस्तावेज लौटाये जाने की शक्तियां उप पंजीयक को प्राप्त थी।

उपरोक्त समस्त अधिसूचनाऐं आज दिनांक 14–07–2014 से ही प्रभावी है, अतः आप यह सुनिश्चित करें कि आज होने वाले समस्त पंजीयन/निर्णयों में उपरोक्त प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट दिनांक 15–07–2014 को जरिये ई–मेल igrs@rajasthan.gov.in पर भिजवाना सुनिश्चित करें।

अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर एवं समस्त उप महानिरीक्षकों को सूचित किया जाता है कि यद्यपि उपरोक्त अधिसूचनाओं के प्रावधानों को राज्य सरकार के वित विभाग की वेबसाईट एवं इस विभाग की वेबसाईट igrs.rajasthan.gov.in पर प्रदर्शित कर दिया गया है किन्तु उक्त प्रावधानों की जानकारी अपने स्तर से भी अपने वृत के समस्त उप पंजीयकों को तत्काल भिजवाकर प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें। उपरोक्त प्रावधानों की छाया–प्रतियां भी संलग्न कर प्रषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

14.7.14

(एल.एन.सोनी)
महानिरीक्षक
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
अजमेर राजस्थान

क्रमांक : एफ.7(39)जन/2013/पार्ट–1/3386–387 दिनांक : **14-07-2014**

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वित भवन, जयपुर।
2. उप निदेशक, (कम्प्यूटर) मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त अधिसूचनाओं/निर्देशों को विभाग की वेबसाईट igrs.rajasthan.gov.in पर तत्काल अपलोड करावें।

14/7/14

(मिरजू राम शर्मा)
अतिरिक्त महानिरीक्षक
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
अजमेर राजस्थान